प्राक्कथन

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र में सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं को राजस्व हिस्सेदारी में देखी गई त्रुटियों को प्रस्तुत करना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 के भाग 13, 16 एवं 18 में यह अनिवार्य किया गया है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक स्वयं को संतुष्ट करे कि भारत सरकार अपना पूर्ण एवं सही राजस्व का हिस्सा प्राप्त करें। तद्नुसार लेखापरीक्षा ने दूरसंचार विभाग और निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुरक्षित खाता बही एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच एक मात्र उद्धेश्य को सुनिश्चित करने के लिए की थी कि सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित राजस्व की भागीदारी सरकार के साथ निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के भाव के अनुसार हो।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानको के अनुरूप की गई है।